–: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला – अजमेर :–

पीठासीन अधिकारी :– अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व वाद संख्या :– 20/2016

उनवान

शांति पत्नी लक्ष्मण जाति रावत निवासी ग्राम भवानीखेडा, नसीराबाद
—— वादी :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. रतना पुत्र खूमा,
2. आपू पत्नी घीसा,
3. मानी पत्नी बीरम,
4. कालू,
5. शैतान उर्फ नौरत,
6. सम्पति
7. कुदंन पि0 बीरम,
8. रामचन्द्र,
9. नारू सिंह,
10. मीरा,
11. प्रेम पि0 घीसा जाति रावत नि0 भवानीखेडा, नसीराबाद,
12. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार

—— प्रतिवादीगण :– 1 से 11 अनुपस्थित
12 जरिये राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :– दिनांक :– 19.5.23

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व प0म0 भवानीखेडा तहसील नसीराबाद की निम्न आराजी वादी की कयशुदा खातेदारी/काश्तकारी की है :–

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा
108/97	2256	0.10
	2265	0.33
112/99	2266	0.02

उक्त आराजी वादी ने जरियें पंजीकृत विकय पत्र दिनांक [illegible]9 को कय कर मौके पर कब्जा व दखल प्राप्त किया था। विकय पत्र में खसरा न[illegible]226[illegible] रकबा 0.33 के स्थान पर खसरा नम्बर 2265/2267 रकबा 0.33 अ[illegible] राजस्व अभिलेख में —

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:15:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

उक्त विक्रय पत्र की पालना नही हो सकी है। वादी द्वारा खसरा नम्बर 2265 ही क्रय किया था तथा उक्त खसरा नम्बर पर वादी का ही कब्जा है। किन्तु राजस्व अभिलेख में नामान्तकरण नही होने के कारण प्रतिवादी उक्त आराजी पर दखलदांजी कर रहे है तथा अन्यत्र बैचान करने पर आमादा है। अतः आराजी मुतनाजा पर वादी को खातेदार घोषित किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 6 ने स्वीकारोक्ति का जवाब पेश किया। वाद विचाराण के दोरान प्रतिवादी प्रकरण में अनुपस्थित रहे। राज0 पैरोकार ने जवाबदावा पेश किया। प्रकरण का लवाब द्वारा खण्डन नही होने के कारण तनकी कायम नही की गयी।

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र पेश किये तथा साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान अधिवक्ता वादी व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया गया। वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण/पूर्वज के नाम खातेदारी दर्ज है। वादी ने आराजी मुतनाजा घीसा व रतना पुत्र खुमा से जरियें पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 13.02.2009 को क्रय की। विक्रय पत्र में खसरा नम्बर 2265/2267 रकबा 0.33 अंकित है जबकि खाते में खसरा नम्बर 2265 अंकित है। उक्त त्रुटि के कारण विक्रय पत्र में दर्ज खसरा नम्बर का नामान्तकरण वादी के नाम दर्ज नही हो सका है। प्रतिवादी संख्या 1 व 6 ने प्रकरण में स्वीकारोक्ति पेश की है। राज0 पैरोकार व अन्य प्रतिवादीगण ने प्रकरण का खण्डन नही किया है। विक्रय पत्र में उक्त त्रुटि सद्भाविक है। विक्रय पत्र व जमाबंदी में खसरा नम्बर 2265/2267 के खाता नम्बर समान ही है। वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख व विक्रय पत्र से वाद के कथनो की ताईद होती है। वादी विक्रेता घीसा व रतना पुत्र खुमा के हिस्से की आराजी पर खातेदारी प्राप्ति करने का अधिकारी है।

अतः ग्राम भवानीखेडा के खसरा नम्बर 2256 रकबा 0.10, 2265 रकबा 0.33 व 2266 रकबा 0.02 की आराजी पर वादी का वाद **''स्वीकार''** किया जाता है। घीसा (के वारिसान) व रतना पुत्र खुमा के हिस्से की आराजी पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:15:04 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

डिक्री व मुकदमें इक्ताई
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

शांति अनाम रतना

दावा बाबत :– 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व 136 भू राज0 अधि0 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 20/2016
पेश करने की दिनांक – 03.02.2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई सुखदेव चौधरी व राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम भवानीखेडा के खसरा नम्बर 2256 रकबा 0.10, 2265 रकबा 0.33 व 2266 रकबा 0.02 की आराजी पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। घीसा (के वारिसान) व रतना पुत्र खुमा के हिस्से की आराजी पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक———— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 19 माह 05 सन् 2023 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा	स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वकालतनामा	स्टाम्प अरजी
स्टाम्प वजह सबूत	मेहनताना वकील
मेहनताना वकील	खर्चा गवाहान
फीस कमिश्नर	फीस कमिश्नर
खर्चा गवाहान	बाबत् इजराय हुक्मनामा
बाबत् इजराय हुक्मनामा	मुतफरिक
मुतफरिक	
मिजान	मिजान

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 16:15:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद